न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या–जीसीएमएस नम्बर 2025/94

1. मिश्रो देवी पुत्री रामकुवार धर्मपत्नी श्री धूणीलाल, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम खेडकी मुक्कड़, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान हाल आबाद रामपुरा खुर्द बजरगपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली।
2. सब रजिस्ट्रार कोटपूतली, जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली।
3. श्रीमती लाडोडी बेवा राजकुवार (मृतक)
4. हनुमान,
5. महादाराम पुत्रान रामकुवार, समस्त जातियान गुर्जर, निवासी ग्राम खेडकी मुक्कड, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली।
6. योगेश कुमार जैन पुत्र भरतसिंह जैन,
7. प्रतिभा जैन पत्नी योगेश कुमार जैन निवासी 11/368, सुन्दर विहार नई दिल्ली–87

——रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थिति–

1. श्री सुनिल कुमार शर्मा, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री स्वाति प्रजापति, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 की ओर से

दिनांकः 10.03.2026

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड़ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.07.2024 से असंतुष्ट होकर भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 की तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली के रिमाण्ड आदेश की पालना में तहसीलदार कोटपूतली के समक्ष प्रकरण सुनवाई में चल रहा था परन्तु श्रीमती प्रतिभा पत्नी योगेश कुमार व योगेश कुमार पुत्र भरत सिंह जैन निवासी 11/368 सुन्दर विहार नई दिल्ली द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उनके अधिवक्ता श्री संदीप बंसल के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश–7 नियम–11 सपठित धारा 141 सी.पी.सी. का प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को विधिक प्रावधानों पर बिना गौर किये एवं विधि विधान व पत्रावली तथा तथ्यों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2024 पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर हाल 178/0.20, 269/0.30, 270/0.28, 271/0.14, 272/0.13, 311/0.28, 332/0.19, 328/0.23, 403/0.02, 404/1.03, 505/0.25, 528/0.09, 665/0.53, 690/0.12, 691/0.19, 692/0.05, 695/0.90, 699/0.06, 772/0.74, 773/0.88 कुल किता 20 कुल रकबा 6.61 हैक्टयर वाके ग्राम मौजा खेडकी मुक्कड तहसील कोटपूतली में स्थित है, में हिस्सा 2/3 का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 5 का पिता व पति

संभागीय आयुक्त
जयपुर

था जिस भूमि पर अपीलान्ट का भी पूर्ण अधिकार था। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थीया के पिता रामकुवार का स्वर्गवास दिनांक 08.09.1998 को ग्राम खेडक्की मुक्कड में हो गया था। उसके पश्चात् से ही प्रार्थीया उक्त भूमि का उपयोग-उपभोग करती चली आ रही थी किन्तु विरासत का नामान्तरकरण अपीलार्थीया के नाम नही खोले जाने पर उनके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 139 के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी। जिस अपील पर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड कर फैसला दिनांक 05.05.1999 में यह स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि वारिसान की जांच कर एवं उनकी सुनवाई की जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें किन्तु तहसीलदार द्वारा उक्त प्रकरण की विधि सम्मत जांच किये बिना ही अपीलान्टगणों के अधिकारों का गला घोटकर विधि विरूद्ध अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2024 पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली के रिमाण्ड आदेश की भी अवहेलना की गई है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो किसी पक्षकार के बयान लिये गये, ना ही विधि सम्मत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया और मात्र कुछ पक्षकारों को फायदा पहुँचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2024 पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिववक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी पूर्व में दिनांक 19.01.2025 को प्रार्थीया पटवारी हल्का के पास उक्त आराजी की जमाबन्दी की नकल लेने गई तब पटवारी हल्का द्वारा यह कहा गया कि तुम्हारे उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 7 जीत गये है। यह लोग आपको उक्त भूमि से बेदखल करेंगे तब प्रार्थीया बिना देरी के अपने अधिववक्ता से जाकर मिली और उक्त प्रकरण की नकल प्राप्त कर बिना देरी के न्यायालय श्रीमान् के समक्ष उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त देरी प्रार्थीया को कानून की कम जानकारी एवं कम पढी लिखी होने के कारण व अपने अधिवक्ता के द्वारा सही समय पर जानकारी नही देने के कारण हुई है, जो क्षमा किये जाने योग्य है। जिसके लिये अपीलार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अपील के साथ अलग से प्रस्तुत किया गया है, जो न्यायहित में स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्व में अन्य नामान्तरकरण में अपीलान्टगण को रामकुवार का वारिसान माना गया है जिसके नामान्तरकरण की प्रतिलिपि प्रार्थीया ने तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की गई थी एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भी यह आ गया था कि अपीलान्ट रामकुवार की पुत्रीया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त साक्ष्यों व कथनों व बिना गौर किये एवं दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना ही विधि विरूद्ध अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2024 पारित किया गया है जबकि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली द्वारा आदेश दिनांक 29.06.2022 द्वारा स्पष्ट कहा था कि रामकुवार के सभी वारिसो को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुऐ पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2024 पारित किया गया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलार्थीया स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जिला कोटपूतली- बहरोड द्वारा उनवानी प्रकरण मिश्री देवी बनाम तहसीलदार कोटपूतली प्रकरण संख्या 4/2023 में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.07.2024 को निरस्त फरमाया जावें।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 ने अपील के तथ्यों का समर्थन करते हुए कथन किया है कि अपीलार्थीया उनकी बहन है तथा उन्होने प्रकरण में प्रश्नगत भूमि का नामान्तरकरण उनकी बहन के नाम भी स्वीकार किये जाने हेतु अपनी सहमति दी गई थी उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यो पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2024 पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपर/उच्च न्यायालयो की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें विलम्ब से प्रस्तुत अपीलें/प्रार्थना पत्रादि के प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए व प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण के तथ्य के मद्देनजर विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय अति जिला कलक्टर कोटपूतली के आदेश दिनांक 29.06.2022 के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 139 खारिज कर प्रकरण तहसीलदार कोटपूतली को रिमाण्ड किया गया है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार कोटपूतली को मृतक खातेदार के वारिसान को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त मृतक खातेदार स्व. रामकुवार के वारिसान के नाम विरासती नामान्तरकरण की विधि सम्मत कार्यवाही की जानी चाहिये थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना क्षेत्राधिकार के प्रार्थना पत्र आदेश–7 नियम–11 पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2024 पारित किया गया है, जो उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2024 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली के निर्णय दिनांक 29.06.2022 की पालना में विरासत की जांच कर नामान्तरकरण की नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करें। यदि रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 7 न्यायालय अति.जिला कलक्टर कोटपूतली के निर्णय दिनांक 29.06.2022 से असंतुष्ट है, तो इसके लिये वे सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।